



**मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 103वीं बोर्ड बैठक दिनांक
09-05-2022 की कार्यवाही**





मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून की 103वीं बोर्ड बैठक दिनांक 09-05-2022 में अधिकारियों की उपस्थिति :-

1. श्री सुशील कुमार, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल। अध्यक्ष
2. श्री बृजेश कुमार सन्त, उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून। उपाध्यक्ष
3. सुश्री दीप्ति मिश्रा, उप सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन। (सचिव वित्त के नामित प्रतिनिधि)
4. श्री चिरंजी लाल, अनु सचिव, आवास विभाग। (सचिव आवास के नामित प्रतिनिधि)
5. श्री कृष्ण कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), देहरादून। (जिलाधिकारी देहरादून के नामित प्रतिनिधि)
6. श्री एस० एम० श्रीवास्तव, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड। सदस्य (वर्चुवल उपस्थिति)
7. श्री रवीन्द्र कुमार दयाल, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून। (नगर आयुक्त के नामित प्रतिनिधि)

अन्य उपस्थिति

1. श्री मोहन सिंह बर्निया, सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
2. श्री रजा अब्बास, संयुक्त सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
3. श्रीमती स्मृति खण्डूरी, मुख्य लेखाधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण।
4. श्री एच०सी०एस० राणा, अधीक्षण अभियंता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
5. श्री अजय माथुर, अधिशासी अभियंता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
6. श्रीमती गीता खुल्वै, विशेषज्ञ समन्वयक, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।





सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 द्वारा अध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण/आयुक्त गढ़वाल मण्डल को पुष्पगुच्छ प्रदान करते हुए स्वागत किया गया तथा सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। इसके पश्चात् सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण की 102वीं (A) (B) बोर्ड बैठक क्रमशः दिनांक 14-12-2021 एवं 23-12-2021 में लिये गये निर्णय की अनुपालन आख्या बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसकी सर्व सम्मति से पुष्टि की गयी एवं प्राधिकरण की 103वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा बिन्दु को पढ़ने हेतु अनुमति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक 1 वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुमानित आय-व्यय हेतु मदवार व्याख्यात्मक टिप्पणी

मुख्य लेखाधिकारी द्वारा बोर्ड के समक्ष प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2022-23 का अनुमानित आय-व्यय सम्बन्धी बजट प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श के उपरान्त सर्व सम्मति से प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट अनुमोदित किया गया।

विषय क्रमांक 2 त्रिवेणीघाट ऋषिकेश का सौन्दर्यीकरण के कार्य में अनुबन्ध राशि में हुई बढ़ोत्तरी की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

विचार-विमर्श के दौरान बोर्ड को अवगत कराया गया कि त्रिवेणी घाट, ऋषिकेश के सौन्दर्यीकरण हेतु अवस्थापना कमेटी से रू0 250.00 लाख की धनराशि स्वीकृत थी तथा वर्तमान में कार्य पूर्ण करने के क्रम में उपाध्यक्ष महोदय के विचलन स्वीकृत अधिकार क्षेत्र 10 प्रतिशत के अतिरिक्त 3.65 प्रतिशत अर्थात् रू0 7,94,890.00 का व्यय हो गया है। बोर्ड द्वारा पृच्छा की गयी कि अतिरिक्त विचलन का क्या कारण है। बोर्ड को अवगत कराया गया कि प्रश्नगत स्थल पर मा0 विधायक/मा0 विधान सभा अध्यक्ष एवं गंगा सभा तथा महापौर, नगर निगम, ऋषिकेश द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देश के क्रम में आरती परिसर में टिनशेड के नीचे ग्रेनाइट पत्थर, आरती परिसर के सामने की ओर स्टेनलेस स्टील की रेलिंग एवं त्रिवेणी घाट के आरती परिसर के शेष भाग में सौन्दर्यीकरण, चेंजिंग रूम, राष्ट्रीय ध्वज, फसाड लाइट, म्यूरल, जूताघर, पूर्व निर्मित फाउण्टेन की मरम्मत आदि का अतिरिक्त कार्य किये जाने के कारण विचलन हुआ है। अतः सर्व सम्मति से 10 प्रतिशत से अतिरिक्त हुये 3.65 प्रतिशत विचलन की स्वीकृति प्रदत्त की गयी।

विषय क्रमांक 3 मानचित्र संख्या सी-0342/20-21 आरई-1 व वाद पत्रावली संख्या सी-0323/एस-3/2021 श्रीमति मधु काम्बोज पत्नी श्री रविन्द्र काम्बोज, द्वारा खसरा नम्बर 1081 क मि0 ग्राम मौथरोवाला (मौथरोवाला दूधली रोड पर) परगना पछवादून देहरादून पर पट्रोल पम्प की निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पेट्रोल पम्प की स्थापना से आस-पास आवासीय क्षेत्र में कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, तदनुसार सर्व सम्मति से श्रीमति मधु काम्बोज पत्नी श्री रविन्द्र काम्बोज, द्वारा खसरा नम्बर 1081 क मि0 ग्राम

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून

प्राधिकरण की 103वीं बोर्ड बैठक दिनांक 09-05-2022 का कार्यवृत्त





मौथरोवाला (मौथरोवाला दूधली रोड पर) परगना पछवाडून देहरादून में पेट्रोल पम्प स्थापना हेतु आवेदित मानचित्र संख्या सी-0342/20-21 की स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय क्रमांक 4 मसूरी स्थित निर्माणाधीन पार्किंग/टारुन हॉल की ऊपरी छत पर एक अतिरिक्त टीन शैड (बरसाती) बनाने के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति से मसूरी स्थित निर्माणाधीन पार्किंग/टारुन हॉल की ऊपरी छत पर एक अतिरिक्त टीन शैड (बरसाती) बनाने हेतु स्वीकृति प्रदत्त की गयी।

विषय क्रमांक 5 प्राधिकरण में विधि कार्य हेतु अधिवक्ता आबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्राधिकरण द्वारा अधिवक्ताओं को दिये जाने वाली निर्धारित फीस के अनुसार ही सुश्री पूजा तिवारी एडवोकेट मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड को प्राधिकरण अधिवक्ता पैनल में नियुक्त किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय क्रमांक 6 ग्राम सुद्धोवाला के खसरा नं० 719ख मि रकबा 3843.0 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग मनोरंजन भूमि से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान बोर्ड को अवगत कराया गया कि मानकानुसार भूखण्ड क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर आवश्यक है, जबकि आवेदक द्वारा 3843.00 वर्गमीटर में भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। अतः भूखण्ड का क्षेत्रफल न्यून होने के कारण सर्व सम्मति से प्रस्ताव निरस्त किया गया।

विषय क्रमांक 7 उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 1647/V-2/2021-11(एल०यू०सी०)/2003टी०सी० दिनांक 05 अक्टूबर 2021 के द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याय-7 के बिन्दु संख्या 7.14 (II) एवं (III) में फिलिंग स्टेशन/फिलिंग कम सर्विस स्टेशन-यथा पेट्रोल, डीजल, सी०एन०जी०, एल०पी०जी० आदि से सम्बन्धित मानकों जिनका उल्लेख स्तम्भ-1 में है, को तालिका के स्तम्भ-2 के अनुसार प्रख्यापित किये जाने के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से शासनादेश संख्या 1647/V-2/2021-11 (एल०यू०सी०)/2003टी०सी० दिनांक 05 अक्टूबर 2021 के द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याय-7 के बिन्दु संख्या 7.14 (II) एवं (III) में फिलिंग स्टेशन/फिलिंग कम सर्विस स्टेशन-यथा पेट्रोल, डीजल, सी०एन०जी०, एल०पी०जी० आदि से सम्बन्धित

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून

प्राधिकरण की 103वीं बोर्ड बैठक दिनांक 09-05-2022 का कार्यवृत्त





मानकों जिनका उल्लेख स्तम्भ-1 में है, को तालिका के स्तम्भ-2 के अनुसार अंगीकार किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक 8 उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 40/V-2/2022-55(आ0)/2006टी0सी0-1 दिनांक 07 जनवरी 2022 के द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) को अंगीगृत किये जाने के सम्बन्ध में।।

विचार-विमर्श के दौरान शासनादेश संख्या 40/V-2/2022-55(आ0)/2006टी0सी0-1 दिनांक 07 जनवरी 2022 के द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) को अंगीगृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक 9 भू-उपविभाजन शुल्क के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान विशेषज्ञ समन्वयक द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि भू-उपविभाजन शुल्क के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड इंजीनियर्स एण्ड आर्किटेक्ट एसोसियेशन द्वारा दिनांक 23.4.2022 को आवेदन किया गया है कि मानचित्र स्वीकृति के साथ भू-उपविभाजन शुल्क ऐसे भूखण्डों में भी लिया जा रहा है जो कि उपविभाजित नहीं हैं अर्थात् पूर्ण सजरा यथावत है, उपविभाजित नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त ऐसे भूखण्ड जो कि प्राधिकरण गठन से पूर्व के विभाजित हैं तथा ऐसे भूखण्डों में इसके पश्चात कोई भी अग्रेतर भू-उप विभाजन नहीं हुआ है। इन भूखण्डों पर भी मानचित्र स्वीकृति के समय भू-उपविभाजन शुल्क लिया जा रहा है तथा उक्त वर्णित भूखण्डों पर भू-उप विभाजन शुल्क आरोपित न किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः सर्व सम्मति से इस हेतु निम्नानुसार एक समिति का गठन किया गया:-

- 1- अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), देहरादून- अध्यक्ष
- 2- सचिव, एम0डी0डी0ए0- सदस्य
- 3- मुख्य वित्त अधिकारी, एम0डी0डी0ए0- सदस्य
- 4- विशेषज्ञ समन्वयक (नियोजन), एम0डी0डी0ए0- सदस्य

निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकृति के भूखण्डों को भू-उपविभाजन शुल्क से मुक्त किये जाने पर समिति यह सुनिश्चित करेगी कि प्राधिकरण की आय पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में विस्तृत विवरण सहित समिति की आख्या प्रस्तुत की जाय।

12

Amil





विषय क्रमांक 10 मानचित्र स्वीकृत करवाने पर 1:3.5 अनुपात से शेष बची जमीन को पार्किंग में उपयोग में लाने के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान निर्णय लिया गया कि वर्तमान में प्रचलित विनियमों में इस विषय से सम्बन्धित प्रकरण का उल्लेख है। अतः अवशेष भाग को पार्किंग में लाया जा सकता है। तदनुसार प्रस्तावित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जाय।

विषय क्रमांक 11:- मानचित्र पत्रावली संख्या-एससी-0004/21-22 श्री राजेन्द्र प्रसाद नैनवाल उर्फ रमेन्द्र प्रसाद नैनवाल पुत्र स्व० सुरेशा नन्द नैनवाल, श्री मदन मोहन, श्री प्रभाकर, श्री दिवाकर एवं श्री रत्नाकर पुत्रगण स्व० श्री पदम नाथ शास्त्री खसरा नम्बर 93, 99, 100, 102, 103 व 109 स्थित मौजा गुजराडा करनपुर परगना पछवाडून जिला देहरादून में ईको रिजॉर्ट निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, जो कि ऑन लाइन के माध्यम से उपस्थिति थे, द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में मा० उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका संख्या 57/2022 (सतीश घिल्डियाल बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) द्वारा शासनादेश दिनांक 26-07-2021 (भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी) एवं 15-01-2019 (एक बार समाधान योजना) को चुनौती दी गयी है, जिसमें प्राधिकरण को भी पार्टी बनाया गया है। उक्त प्रकरण सड़क चौड़ाई में शिथिलीकरण से सम्बन्धित है। अतः सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त शासनोदेशों को क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में पुनः दिशा-निर्देश हेतु प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाय तथा शासन से दिशा निर्देश प्राप्त होने के पश्चात ही भू-उपयोग परिवर्तन/शिथिलीकरण की अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।

विषय क्रमांक 12:- शमनित मानचित्र पत्रावली संख्या-ओसी-0525/21-22 श्री अनिल कुमार शर्मा, श्री सुनील कुमार पुत्रगण स्व० श्री देवी लाल एवं श्रीमती सरवती देवी पत्नि स्व० श्री देवी लाल द्वारा खसरा नम्बर 759, 760, 761, 762 मि० व 763 मौजा बालावाला (गुलरघाटी बालावाला रोड) परगना परवाडून देहरादून पर वैडिंग प्लांट निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति निर्णय लिया गया कि इस बिन्दु पर विषय क्रमांक-11 पर लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाय।

विषय क्रमांक 13 मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-0354/20-21 लोअर टर्मिनल एवं मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-0430/20-21 आरई-1 अपर टर्मिनल स्टेशन देहरादून मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट बाई मसूरी स्काई कार कम्पनी प्रा० लि० उत्तराखण्ड टूरिज्म विभाग उत्तराखण्ड द्वारा श्री सैय्यद जुनैद अलताफ में टर्मिनल स्टेशन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून

प्राधिकरण की 103वीं बोर्ड बैठक दिनांक 09-05-2022 का कार्यवृत्त





विचार-विमर्श के दौरान सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि अपर/लोअर टर्मिनल अब एक ही है तथा इसी के सापेक्ष आवेदित मानचित्र संख्या सी-0430/20-21आरई-1 पर कार्यवाही विचाराधीन है। सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण शिथिलीकरण से सम्बन्धित है, अतः विषय क्रमांक-11 पर लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाय।

विषय क्रमांक 14 मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-0392/21-22 Lessee श्री भरत महाजन पुत्र श्री महेश महाजन खसरा नम्बर 1133 मौजा झाझरा तहसील विकास नगर देहरादून Lessor श्री महेश महाजन के रैस्टोरेन्ट भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान विशेषज्ञ समन्वयक, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक भू-उपयोग में रैस्टोरेन्ट भवन निर्माण की अनुमति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है। अतः सर्व सम्मति से श्री भरत महाजन पुत्र श्री महेश महाजन द्वारा भूमि खसरा नम्बर 1133 मौजा झाझरा तहसील विकास नगर देहरादून में रैस्टोरेन्ट भवन निर्माण हेतु आवेदित मानचित्र संख्या सी-0392/21-22 की स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय क्रमांक 15 मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-0537/21-22 श्री राजीव जैन पुत्र श्री ओपी0जैन सम्पत्ति संख्या-19 (पुराना नं0-13ए) न्यू सर्वे रोड देहरादून वर्तमान सम्पत्ति संख्या-33 राय बहादुर अग्रसैन मार्ग देहरादून पर दुकानों का मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान अधीक्षण अभियंता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण दुकान का है तथा वर्तमान में प्रचलित विनियमों में सुविधाजनक दुकान अनुमन्य है। अतः सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इसका Title बदलकर सुविधाजनक दुकान हेतु करते हुये वर्तमान में प्रचलित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जाय।

विषय क्रमांक 16 ग्राम खालागांव परगना पछवादून जिला देहरादून के खसरा नम्बर 176, 178, 185, 186, 188, 189क, 189ख 190क, का भू-उपयोग कृषि/हरित क्षेत्र से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति निर्णय लिया गया कि इस बिन्दु पर विषय क्रमांक-11 पर लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाय।





विषय क्रमांक 17 मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-0551/21-22 PROPOSED ECO RESORT FOR CHOICE INNS AND MOTELS PRIVATE LTD. DIRECTOR MR. KARAN AGGARWAL S/O MR. RAJESH AGGARWAL. LAND K- KHASRA NO. 46K, 47, 48, 50K, 51K, 54G, 97K, 98K LAND KH- KHASRA NO. 21K, 22, 25K, 26, 27, 28K, 29, 33, 34K, 35, 36, 37, 38, 41K, 42, 45 LAND G- KHATA NO. 10, KHASRA NO. 21K, 22, 25K, 26, 27, 28K, 29, 33, 34K, 35, 36, 37, 38, 41K, 42, 45 LAND G1- KHATA NO. 10, KHASRA NO. 21K, 22, 25K, 26, 27, 28K, 29, 33, 34K, 35, 36, 37, 38, 41K, 42, 45 LAND GH- KHATA NO.1, KHASRA NO. 102K, 54K LAND GH1- KHATA NO.2, KHASRA NO. 55KH, 56, 88KH, 90KH, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99 LAND GH2- KHATA NO.3, KHASRA NO. 61G, 66KH, 81KH, 84KH, 87KH, 88K, 90 KHATA KHATONI NO.10, KHASRA NO. 18K KHATA NO.00013, KHASRA NO. 18KH, 19, 20KH SITUATED AT MOUJA KATKOT KHURD PARAGNA PARWADOON TEHSIL RISIKESH, DISTT. DEHRADUN. में इको रिजोर्ट निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि कृषि भू-उपयोग में इको रिजोर्ट अनुमत्य है, तथापि यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि इको रिजोर्ट हेतु विनियमों में दी गयी व्यवस्था का अक्षरशः पालन किया जाय व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रस्तावित निर्माण इको रिजोर्ट के रूप में ही उपयोग में लाया जायेगा। उक्त निर्देशों के साथ सर्व सम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय क्रमांक 18 मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-0041/22-23 PROPOSED WEDDING POINT BUILDING FOR SH. RAJESH JAIN S/O SH NARENDRA JAIN (2.) SH. NARENDRA JAIN S/O SH. SUMER CHAN JAIN (3.) SMT. ARCHNA JAIN W/O SH RAJESH JAIN (4.) SH. ABHISHEK JAIN S/O SH NARENDRA KUMAR JAIN (5.) SH. ARVIND KUMAR BHARDWAJ S/O SH. ISHWARCHAND BHARDWAJ (6.) PARAS JAIN S/O SH RAJESH JAIN (7.) SH. AMITABH SHARMA S/O SUKAL CHAND SHARMA SITUATED AT PROPERTY KH. NO 232, 232 GA, 229, 230, 231 KHA, 231 GA, 296, 295, 297, 293 KA (OLD KH. NO -81 MIN) 293 KHA , 293 KHA MIN, 294 KA MIN, (OLD KH. NO -81 MIN) 294 KHA, 295, 296, 296 MIN , 297, 297 MIN, 305 GHA, 293 KA, 220 CHA , 220 KA, 214 MIN, 293 MIN, 298 MIN (NEW NO- 230 MIN) 305 GHA MAUZA KARGI GRANT PARGANA PACHWA DOON, TEHSIL SADAR DISTT. DEHRADUN पर वैडिंग प्वाइंट निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।





सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण करते हुये यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि वैडिंग प्वाइंट निर्माण से आस-पास की संरचना पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तदनुसार सर्व सम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय क्रमांक 19 मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-0048/22-23 श्री अर्जुन बजाज पुत्र स्व0 श्री सन्तलाल बजाज पुराना खसरा नम्बर 368बी ,368/1, 369, 370, 371, 372 नया खसरा नम्बर 606सी, 606ई, 606, 607, 608, 611, 611ड मौजा जाखन परगना परवादून तहसील सदर जिला देहरादून पर प्रस्तावित कामर्सियल/होटल बिल्डिंग निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से श्री अर्जुन बजाज पुत्र स्व0 श्री सन्तलाल बजाज द्वारा पुराना खसरा नम्बर 368बी ,368/1, 369, 370, 371, 372 नया खसरा नम्बर 606सी, 606ई, 606, 607, 608, 611, 611ड मौजा जाखन परगना परवादून तहसील सदर जिला देहरादून में आवेदित मानचित्र संख्या सी-0048/22-23 की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदत्त की गयी कि प्रश्नगत स्थल के निरीक्षण उपरान्त यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि कॉमर्सियल/होटल बिल्डिंग के निर्माण से आस-पास की गतिविधियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है।

विषय क्रमांक 20 मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-0378/21-22 श्री मनीष अग्रवाल व श्री सुमित अग्रवाल पुत्रगण श्री एस0के0 अग्रवाल , श्रीमती आशा भट्टाचार्य पत्नी श्री तपन भट्टाचार्य एवं श्री अरनब भट्टाचार्य पुत्र श्री तपन भट्टाचार्य द्वारा खसरा नम्बर 164/1 मौजा कण्डोली परगना पछवादून तहसील विकासनगर देहरादून पर होटल निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से श्री मनीष अग्रवाल व श्री सुमित अग्रवाल पुत्रगण श्री एस0के0 अग्रवाल, श्रीमती आशा भट्टाचार्य पत्नी श्री तपन भट्टाचार्य एवं श्री अरनब भट्टाचार्य पुत्र श्री तपन भट्टाचार्य द्वारा खसरा नम्बर 164/1 मौजा कण्डोली परगना पछवादून तहसील विकासनगर देहरादून में होटल निर्माण हेतु आवेदित मानचित्र संख्या सी-0378/21-22 की स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।





विषय क्रमांक 21 मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-0325/21-22 श्री केशव सोईन पुत्र श्री केवल कृष्ण सोईन सम्पत्ति संख्या-19 न्यू रोड नया म्युनिसिपल नम्बर 139/82 अमृत कौर रोड देहरादून पर कामर्शियल निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विचार-विमर्श के दौरान अधीक्षण अभियंता द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि प्रश्नगत स्थल पर 18.00 मीटर चौड़ा महायोजना मार्ग विद्यमान है। अतः सर्व सम्मति से श्री केवल कृष्ण सोईन द्वारा सम्पत्ति संख्या-19 न्यू रोड नया म्युनिसिपल नम्बर 139/82 अमृत कौर रोड देहरादून पर कामर्शियल निर्माण हेतु आवेदित मानचित्र संख्या-सी-0325/21-22 की स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया ।

विषय क्रमांक 22 शमनित मानचित्र पत्रावली संख्या-ओसी-0422/21-22 श्री नरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र स्व० श्री फतेह सिंह खसरा नम्बर 2821 ख मौजा रसूलपुर (एनफील्ड ग्रान्ट) परगना पछवादून तहसील विकासनगर देहरादून पर क्लीनिक का मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विचार-विमर्श के दौरान बोर्ड को अवगत कराया गया कि चूंकि प्रश्नगत स्थल मुख्य मार्ग देहरादून चकरौता मार्ग से 120 मीटर दूरी पर डेड एण्ड पर अवस्थित है, अतः यह प्रकरण शिथिलीकरण का नहीं है। सर्व सम्मति से श्री नरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र स्व० श्री फतेह सिंह द्वारा खसरा नम्बर 2821 ख मौजा रसूलपुर (एनफील्ड ग्रान्ट) परगना पछवादून तहसील विकासनगर देहरादून पर क्लीनिक भवन निर्माण हेतु आवेदित मानचित्र संख्या ओसी-0422/21-22 की स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया ।

विषय क्रमांक 23 मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-0530/21-22 श्रीमती मिताली अग्रवाल पत्नी श्री अंकित अग्रवाल स्थित खसरा नम्बर 1027क (पुराना खसरा नम्बर 528) मौजा झाझरा तहसील विकासनगर देहरादून पर प्रस्तावित होटल बिल्डिंग निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विचार विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से श्रीमती मिताली अग्रवाल पत्नी श्री अंकित अग्रवाल द्वारा खसरा नम्बर 1027क (पुराना खसरा नम्बर 528) मौजा झाझरा तहसील विकासनगर देहरादून पर आवेदित होटल बिल्डिंग मानचित्र संख्या सी-0530/21-22 की स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया ।





विषय क्रमांक 24 शमनित मानचित्र पत्रावली संख्या-ओसी-0778/21-22 श्री जगदीश लाल चचरा पुत्र स्व० श्री गोविन्द राम चचरा श्रीमती नीरा चचरा पत्नि श्री जगदीश लाल चचरा स्थित सम्पत्ति संख्या-4-ए ईस्ट कैनाल रोड (5राजीव गाँधी मार्ग ब्लाक-1) जिला देहरादून पर नर्सिंग होम बिल्डिंग निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति निर्णय लिया गया कि इस बिन्दु पर विषय क्रमांक-11 पर लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाय।

विषय क्रमांक 25 शमनित मानचित्र पत्रावली संख्या-ओसी-0528/21-22आरई-1 श्रीमती मनीषी सांघल पत्नि श्री विनेश कुमार सांघल व श्री विनेश कुमार सांघल पुत्र स्व० श्री लाल चन्द सांघल स्थित पार्ट ऑफ खसरा नम्बर 202/1 (म्युनिसिपल नम्बर 175/6) मौजा किशनपुर परगना सैन्ट्रल दून जिला देहरादून में रैस्टोरेन्ट भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से श्रीमती मनीषी सांघल पत्नि श्री विनेश कुमार सांघल व श्री विनेश कुमार सांघल पुत्र स्व० श्री लाल चन्द सांघल द्वारा पार्ट ऑफ खसरा नम्बर 202/1 (म्युनिसिपल नम्बर 175/6) मौजा किशनपुर परगना सैन्ट्रल दून जिला देहरादून में आवेदित रेस्टोरेन्ट भवन मानचित्र संख्या ओसी-0528/21-22आरई-1 की स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक 26 मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-0078/22-23 श्री दिलशाद अली व इरशाद पुत्रगण जान मौहम्मद स्थित खसरा नम्बर 925ख मि० फसली वर्ष (1417 से 1422) स्थित मौजा माजरा परगना सैन्ट्रल दून जिला देहरादून में व्यवसायिक मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से श्री दिलशाद अली व इरशाद पुत्रगण जान मौहम्मद द्वारा खसरा नम्बर 925ख मि० फसली वर्ष (1417 से 1422) स्थित मौजा माजरा परगना सैन्ट्रल दून जिला देहरादून में आवेदित व्यवसायिक भवन मानचित्र संख्या सी-0078/22-23 की स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक 27 मानचित्र पत्रावली संख्या-एल-0019/22-23 श्री आशीष अग्रवाल पुत्र श्री पवन कुमार व श्री रुसिल गर्ग पुत्र संजय गर्ग के द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम मौजा कारगी ग्रान्ट के खसरा नम्बर-110, 111, 112, 117क, 118क, 119, 120, व 121 पर परगना सैन्ट्रल दून जिला देहरादून में वाणिज्यिक (सर्विस) तलपट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।





विचार-विमर्श के दौरान मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड द्वारा बोर्ड के समक्ष कथन किया गया कि इस प्रकार के प्रकरण विगत बोर्ड बैठकों में प्रस्तुत किये गये थे, जिनमें निर्णय लिया गया था कि वाणिज्यिक केन्द्र की परिभाषा के अनुरूप ही इस प्रकार के प्रकरणों का निस्तारण किया जाय। अतः सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्तमान में प्रचलित विनियमों में वाणिज्यिक केंद्र की परिभाषा के अनुसार उक्त प्रस्ताव का निस्तारण किया जाय।

विषय क्रमांक 28 शमनित मानचित्र पत्रावली संख्या-एससी-0004/22-23 मैसर्स हिमालयन हास्पिटल प्रा0लि0 डायरेक्टर श्री मानव चौहान पुत्र श्री योगेश कुमार व श्री योगेश कुमार पुत्र श्री रोशनलाल स्थित खसरा नम्बर 46, 47, 48, 49, 50, 51ख, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60 क्षेत्रफल 0.9200 हैक्टेअर मौजा बिष्ट गॉव परगना परवादून जिला देहरादून में इको रिसोर्ट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि इको रिजोर्ट के मानचित्र स्वीकृति से पूर्व स्थल निरीक्षण कर लिया जाय तथा इको रिजोर्ट हेतु विनियमों में दी गयी व्यवस्था का अक्षरशः पालन किया जाय व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रस्तावित निर्माण इको रिजोर्ट के रूप में ही उपयोग किया जाये। उक्त निर्देशों के साथ सर्व सम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय क्रमांक 29 खसरा संख्या 232ख, 233क एवं 233ख, ग्राम सोडा सरोली, परगना परवादून जिला देहरादून स्थित भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन कृषि से शैक्षणिक किये जाने के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति निर्णय लिया गया कि इस बिन्दु पर विषय क्रमांक-11 पर लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाय।

विषय क्रमांक 30 मौजा बगराल गांव परगना पछवादून तहसील व जिला देहरादून के खसरा नम्बर 188मि0, 189मि0, 190मि0, 191मि0, 192मि0, 217 कुल रकबा 6987 वर्ग मीटर भूमि का वर्तमान महायोजना, जोनल प्लान सुनवाई समिति के निर्णय अनुसार प्रदर्शित सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक भू-उपयोग का त्रुटि सुधार करते हुए आवासीय दर्शाये जाने के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान विशेषज्ञ समन्वयक, प्राधिकरण (नियोजन अनुभाग) द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि मौजा बगराल गांव में अपने स्वामित्व की भूमे खसरा नम्बर 188मि0, 189मि0, 190मि0, 191मि0, 192मि0, 217 कुल रकबा 6987 वर्ग मीटर भूमि को जोनल प्लान की आपत्ति सुझाव समिति की रिपोर्ट जो कि प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 18.11.2019 द्वारा अनुमोदित है, के अनुसार "पेस्टलबीड स्कूल के विद्यमान परिसर को यथावत सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक भू-उपयोग अन्तर्गत दर्शाते हुए शेष भाग निकटतम आवासीय भू-उपयोग अन्तर्गत दर्शाया जाना उचित है"। इस प्रकार आपत्ति/सुझाव की सुनवाई हेतु गठित समिति द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड आवासीय में दर्शाने हेतु संस्तुति की गयी, किन्तु त्रुटिवश जोनल प्लान में उक्त स्थल सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक दर्शाया गया है।

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून

प्राधिकरण की 103वीं बोर्ड बैठक दिनांक 09-05-2022 का कार्यवृत्त





सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जोनल प्लान की आपत्ति/सुझाव की सुनवाई हेतु गठित समिति की संस्तुति के क्रम में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक एवं विशेषज्ञ समन्वयक (नियोजन) की सहमति के आधार पर उक्त प्रकरण में त्रुटि सुधार हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। तदनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त त्रुटि को प्रस्तावित महायोजना में सुधार कर लिया जायेगा।

विषय क्रमांक 31 महायोजना में कृषि भू-उपयोग होने किन्तु राजस्व अभिलेखों में दर्ज आबादी में एकल आवासीय भवनों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान निर्णय लिया गया कि महायोजना में कृषि भू-उपयोग में एकल आवासीय भवन के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में जोनिंग रेग्यूलेशन में दी गयी व्यवस्था में संशोधन उपरान्त महायोजना में प्रदर्शित कृषि भू-उपयोग में भूखण्ड स्वामी आवेदक को राजस्व अभिलेखों में दर्ज बन्दोबस्ती आबादी से 500 मीटर की परिधि तक एकल आवासीय भवन निर्माण हेतु अधिकतम 100 वर्गमीटर आच्छादन में मात्र दो तलों के एकल आवासीय भवन निर्माण हेतु वर्तमान में प्रचलित जोनिंग रेग्यूलेशन में संशोधन किये जाने हेतु प्रकरण प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाय।

विषय क्रमांक 32 ऋषिकेश क्षेत्र में मौजूदा नगर निगम कार्यालय की भूमि पर बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान बोर्ड को अवगत कराया गया कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा संख्या- 633/2019 दिनांक 23/12/2019 व घोषणा संख्या- 1006/2021 दिनांक 04/10/2021 के माध्यम से ऋषिकेश में यातायात की समस्या से निपटने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत पार्किंग की व्यवस्था किये जाने के संबंध में ऋषिकेश क्षेत्र में बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण कराये जाने हेतु घोषणा की गयी थी।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि प्राधिकरण में Empanelled Firms, जोकि विभिन्न-विभिन्न Category में Empanelled है, परंतु कंसल्टेंसी अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों की दर नियत नहीं है। चूंकि उक्त वर्णित प्राप्त प्रस्तावों में से M/s Edifice का प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण उपरान्त नगर निगम बोर्ड बैठक में भी स्वीकार्य था, इस बिंदु के दृष्टिगत M/s Edifice से हुई वार्ता के क्रम में इनके द्वारा ई-मेल दिनांक 30/04/2022 के माध्यम से वित्तीय प्रस्ताव हेतु पत्र प्राधिकरण को उपलब्ध कराया गया। उक्त प्रस्ताव के साथ इनके द्वारा अन्य विभागों में प्रस्तावित कार्य के अनुरूप कार्यों में नियत/स्वीकृत दरों की प्रति प्रस्तुत की गयी। इस क्रम में कंसलटेंट द्वारा ब्रिडकुल में प्रस्तावित पार्किंग निर्माण हेतु 1.2 प्रतिशत की स्वीकृत दर की प्रति प्रस्तुत की गयी है। उल्लेखनीय है कि उक्त फर्म M/s Edifice ब्रिडकुल में भी पंजीकृत है। साथ ही इनके द्वारा दी गयी दर शासनादेश संख्या-163/xxvii(7)/2007 दिनांक 22/05/2008 में उल्लिखित वास्तुविद द्वारा किये जाने वाले कार्यों को पूर्ण रूप से सम्मिलित करते हुए उक्त कार्य हेतु अपनी दर दी गयी है, उक्त कार्य की अनुमानित लागत लगभग रु0 84.00 करोड़ है।





उपरोक्त क्रम में मुख्य वित्त अधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि वर्तमान में प्रचलित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार "एकल स्रोत के आधार पर परामर्शी का चयन किया जाना आवश्यक हो तथा लागत ₹0 25,00,000 (₹0 पच्चीस लाख मात्र) से अधिक हो, तो एकल स्रोत के चयन से पूर्व प्रशासनिक विभाग का अनुमोदन एवं वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी"। चूंकि ऋषिकेश क्षेत्र में पार्किंग की उपलब्धता का अभाव है तथा ऋषिकेश धार्मिक तथा पर्यटन के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थल है तथा उपरोक्त उल्लिखित कंसलटेंट M/s Edifice का Concept Plan प्राधिकरण एवं नगर निगम, ऋषिकेश के बोर्ड द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है।

अतः सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त कार्य हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुरूप निविदा आमंत्रित कर अग्रिम कार्यवाही की जाय।।

विषय क्रमांक 33 मानचित्र पत्रावली संख्या-ओसी-0292/21-22 श्री स्टीफन इलायझा फुन्सोग पुत्र स्व० श्री वाई०पी० फुन्सोग सम्पत्ति संख्या-3बी नया नम्बर 10/124 ढाकपट्टी वर्तमान नम्बर 589/जी.एफ-06 ढाकपट्टी राजपुर रोड देहरादून पर रेस्टोरेंट निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति निर्णय लिया गया कि इस बिन्दु पर विषय क्रमांक-11 पर लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाय।

विषय क्रमांक 34 प्राधिकरण के 12 प्रीतम रोड स्थित डालनवाला देहरादून स्थित पुराने कार्यालय भवन को ध्वस्तीकरण उपरान्त कार्यालय भवन का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान प्राधिकरण के 12 प्रीतम रोड स्थित डालनवाला देहरादून स्थित पुराने कार्यालय भवन के ध्वस्तीकरण उपरान्त कार्यालय भवन का निर्माण किये जाने हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदत्त की गयी, जो मा० उच्च न्यायालय के निर्देशों के अधीन होगी।

विषय क्रमांक 35 ग्राम-माजरी माफी परगना परवादून तहसील- देहरादून में श्रीमती रंजना गोयनका पत्नी श्री गोपाल गोयनका के स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 133, 134मिन, 134ख, 135क एवं 135ट मिन कुल रकबा 1455.93 वर्ग मीटर का भूमि का भू-उपयोग कृषि भू-उपयोग से व्यवसायिक भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार उक्त भूखण्ड के आसपास व्यवसायिक तथा आवासीय गतिविधियां विद्यमान हैं तथा आवेदिका द्वारा खसरा नम्बर 133, 134मिन, 134ख, 135क एवं 135ट मिन कुल रकबा 1455.93 वर्ग मीटर को व्यवसायिक भू-उपयोग में रखने हेतु अनुरोध किया गया है। विचार-विमर्श के

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून

प्राधिकरण की 103वीं बोर्ड बैठक दिनांक 09-05-2022 का कार्यवृत्त





उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि महायोजना में उक्त खसरा नम्बरों का भू-उपयोग व्यवसायिक किये जाने हेतु संस्तुति सहित प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाये।

विषय क्रमांक 36 मानचित्र पत्रावली संख्या सी-0072/22-23 मे0 के0 पी0टी0 पाईपिंग सिस्टम प्रा0 लिमिटेड द्वारा श्री अंकुर खडारिया पुत्र श्री मुरारी लाल खडारिया, खसरा नं0-1029 एवं 1027, मौजा सैन्ट्रल होप टाउन, परगना पछवादून, देहरादून, उत्तराखण्ड के निर्माण में मार्ग की शिथिलता की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति निर्णय लिया गया कि इस बिन्दु पर विषय क्रमांक-11 पर लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाय।

विषय क्रमांक 37 शमनित मानचित्र पत्रावली संख्या-ओसी-0767/21-22 श्री विशाल शर्मा पुत्र किशन लाल शर्मा द्वारा खसरा नम्बर 69ग, 69च, 71ख, 69ड (पुराना खसरा नम्बर 57/3, 58/3 व 61/3) 69क एवं 182/329 मिन जिसका पुराना खसरा नम्बर 54/3 मिन मौजा सिनौला परगना परवादून देहरादून पर वैडिंग प्वाइंट निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से श्री विशाल शर्मा पुत्र किशन लाल शर्मा द्वारा खसरा नम्बर 69ग, 69च, 71ख, 69ड (पुराना खसरा नम्बर 57/3, 58/3 व 61/3) 69क एवं 182/329 मिन जिसका पुराना खसरा नम्बर 54/3 मि0 मौजा सिनौला परगना परवादून देहरादून पर वैडिंग प्वाइंट निर्माण हेतु आवेदित मानचित्र संख्या ओसी-0767/21-22 की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदत्त की गयी कि प्रश्नगत स्थल के निरीक्षण उपरांत यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि वैडिंग प्वाइंट के निर्माण से उक्त स्थल के आस-पास विद्यमान गतिविधियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है।

विषय क्रमांक 38 मानचित्र पत्रावली संख्या-एप्लीकेशन नम्बर-मेप/पी/सी/0120/22-23 श्री उमाकान्त गर्ग पुत्र श्री कुंज बिहारी लाल, श्रीमती सीमा गर्ग पत्नि श्री रविकान्त गर्ग, श्रीमती अंजू गर्ग पत्नि श्री उमाकान्त गर्ग द्वारा स्थित सम्पत्ति संख्या-404/3 मौजा कांवली 02 अशोक विहार जी0एम0एस0रोड देहरादून में व्यवसायिक/वाणिज्य केन्द्र के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से श्री उमाकान्त गर्ग पुत्र श्री कुंज बिहारी लाल, श्रीमती सीमा गर्ग पत्नि श्री रविकान्त गर्ग, श्रीमती अंजू गर्ग पत्नि श्री उमाकान्त गर्ग द्वारा सम्पत्ति संख्या-404/3 मौजा कांवली 02 अशोक विहार जी0एम0एस0रोड देहरादून में वर्तमान में प्रचलित विनियमों के अनुसार वाणिज्यिक केन्द्र की परिभाषा के अनुरूप ही आवेदित व्यवसायिक/वाणिज्य केन्द्र के मानचित्र संख्या मेप/पी/सी/0120/22-23 की स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून

प्राधिकरण की 103वीं बोर्ड बैठक दिनांक 09-05-2022 का कार्यवृत्त





विषय क्रमांक 39 मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-0305/21-22आरई-1 श्रीमती नवनीत कौर दन्दौना पत्नि श्री हरप्रीत सिंह दन्दौना स्थित पार्ट ऑफ खसरा नम्बर 65क स्थित ब्राह्मण गाँव परगना पछवादून देहरादून में रैस्टोरेन्ट भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से श्रीमती नवनीत कौर दन्दौना पत्नि श्री हरप्रीत सिंह दन्दौना द्वारा पार्ट ऑफ खसरा नम्बर 65क स्थित ब्राह्मण गाँव परगना पछवादून देहरादून में रैस्टोरेन्ट भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु आवेदित मानचित्र संख्या सी-0305/21-22आरई-1 की स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक 40 मौजा बिधोली स्थित खसरा नम्बर 510क, 545क कुल क्षेत्रफल 5001.99 वर्ग मीटर भूमि को सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक भूउपयोग से आवासीय भूउपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति निर्णय लिया गया कि इस बिन्दु पर विषय क्रमांक-11 पर लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाय।

विषय क्रमांक 41 श्रीमती आशावन्ती नागपाल द्वारा आवेदित पत्रावली संख्या ओ0सी0-797 /2021-22 दुकान का प्रस्तावित/शमन मानचित्र के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से श्रीमती आशावन्ती नागपाल द्वारा दुकानों के निर्माण हेतु आवेदित शमन मानचित्र संख्या ओ0सी0-797/2021-22 की स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक 42 शासनादेशानुसार प्राधिकरण कार्यालय में विनियमित कर्मचारियों की मृत्यु उपरान्त मृतक आश्रित की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के दौरान प्रकरण बोर्ड स्तर का न होने के कारण एजेंडा से निक्षेपित किया गया।

अनुपूरक विषय क्रमांक 01 श्रीमती शोभा शर्मा एवं श्री मुनेश कुमार शर्मा द्वारा महायोजना-2031 में त्रुटिवश छूटी हुयी भूमि का भू-उपयोग पर्यटन हेतु परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

विचार-विमर्श के दौरान मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा कथन किया गया कि ग्राम कोटिमयचक (परवादून) मुख्य थानों मार्ग के खसरा संख्या 242, 243ख, 244, 245, 247 से 250, 284ख, 285, 286क, 287 से 289 एवं 290क कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 0.4890 हेक्टेयर हेतु भू-उपयोग कृषि से पर्यटन में निर्धारित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उनके द्वारा अपने पत्र

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून

प्राधिकरण की 103वीं बोर्ड बैठक दिनांक 09-05-2022 का कार्यवृत्त





संख्या 758/नग्रानि/भूउप0परि0/2022 दिनांक 07 मई, 2022 में उल्लेख किया गया है कि तत्सम्बन्धी आख्या कार्यालय पत्रांक 946/नग्रानि/भूउप0परि0/2020 दिनांक 30 जुलाई, 2020 में आख्या प्रस्तुत की गयी है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि चूंकि स्थल के सन्निकट बाहुल्य रूप से कृषि एवं आवासीय भू-उपयोग प्रस्तावित है। अतः इस सम्बन्ध में प्राधिकरण स्तर से भी स्थल निरीक्षण कर स्थल की सीमा एवं निकटवर्ती बाहुल्य भू-उपयोग की परस्पर स्थिति के आधार पर स्थल का भू-उपयोग सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। प्राधिकरण की आख्यानुसार उक्त स्थल की निरन्तरता में बाहुल्य रूप से आवासीय भू-उपयोग है। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि संलग्न पत्रावली में प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत आख्या को विभागीय अभिमत माना जाये।

सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि उप सचिव, आवास अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अपने पत्र संख्या 1574/V-2-21-01(एल0यू0सी0)/2021 दिनांक 06 सितम्बर, 2021 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण दूनघाटी महायोजना-2031 के परिक्षेत्रीय विनियमन के प्रस्तर-13.3(4) के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः सर्व सम्मति से महायोजना-2031 के परिक्षेत्रीय विनियमन के प्रस्तर 13.3(4) में निहित प्राविधान के अनुसार खसरा संख्या 242, 243ख, 244, 245, 247 से 250, 284ख, 285, 286क, 287 से 289 एवं 290क कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 0.4890 हेक्टेयर का भू-उपयोग जो कि महायोजना-2031 में त्रुटिवश वन प्रदर्शित हो गया था, को आवासीय भू-उपयोग निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुपूरक विषय क्रमांक 02 मौजा माजरी ग्रान्ट में भूमि खसरा नं0 4071ख मि0, 4072मि0, 4073मि0, 4074कमि0, 4074खमि0, कुल रकबा 0.5370 है0 भूमि का सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक भू-उपयोग से व्यवसायिक में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति निर्णय लिया गया कि इस बिन्दु पर विषय क्रमांक-11 पर लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाय।

अनुपूरक विषय क्रमांक 03 भूमि खसरा नम्बर 4831 ,4832ख ,4833क व 4833 कुल रकबा 9455वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति निर्णय लिया गया कि इस बिन्दु पर विषय क्रमांक-11 पर लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाय।

अनुपूरक विषय क्रमांक 04 भूमि खसरा नम्बर 460, 461ख, 462क, 463, 464, 465क, 465ख, 466क, 466ख, 467क, 467ख, कुल 0.9520 है0 भूमि का भू-उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून

प्राधिकरण की 103वीं बोर्ड बैठक दिनांक 09-05-2022 का कार्यवृत्त





सर्व सम्मति निर्णय लिया गया कि इस बिन्दु पर विषय क्रमांक-11 पर लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाय।

अनुपूरक विषय क्रमांक 05 भूमि खसरा नम्बर 461क, 462ख, 462ग, 466ग, 449, 450क, 450ख, 451, 452 कुल 0.1990 है० भूमि का भू-उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति निर्णय लिया गया कि इस बिन्दु पर विषय क्रमांक-11 पर लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाय।

अनुपूरक विषय क्रमांक 06 भूमि खसरा नम्बर 142, 146क, 146ख, कुल 0.3240 है० भूमि का भू-उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति निर्णय लिया गया कि इस बिन्दु पर विषय क्रमांक-11 पर लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाय।

अनुपूरक विषय क्रमांक 07 भूमि खसरा नम्बर 413, 414, 433, 435, 418, 419, कुल 0.6030 है० भूमि का भू-उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति निर्णय लिया गया कि इस बिन्दु पर विषय क्रमांक-11 पर लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाय।

अनुपूरक विषय क्रमांक 08 भूमि खसरा नम्बर 412, 417, 426, 430, 429, कुल 0.8410 है० भूमि का भू-उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति निर्णय लिया गया कि इस बिन्दु पर विषय क्रमांक-11 पर लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाय।

अनुपूरक विषय क्रमांक 09 भूमि खसरा नम्बर 92क, 91ख, 90घ, 90ध, कुल 0.9860 है० भूमि का भू-उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति निर्णय लिया गया कि इस बिन्दु पर विषय क्रमांक-11 पर लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाय।

अनुपूरक विषय क्रमांक 10 भूमि खसरा नम्बर 91क, 95ख, 90च, 90ज, 90ग कुल 0.8505 है० भूमि का भू-उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

[Handwritten signature]

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून

प्राधिकरण की 103वीं बोर्ड बैठक दिनांक 09-05-2022 का कार्यवृत्त





सर्व सम्मति निर्णय लिया गया कि इस बिन्दु पर विषय क्रमांक-11 पर लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाय।

अनुपूरक विषय क्रमांक 11 सम्पत्ति संख्या 77/61 रविन्द्रनाथ टैगोर मार्ग (पुराना नं013अ, न्यू कैन्ट रोड) तहसील व जिला देहरादून पर गेल गैस लिमिटेड के सी0एन0जी0 आउटलेट स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति निर्णय लिया गया कि इस बिन्दु पर विषय क्रमांक-11 पर लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाय।

अनुपूरक विषय क्रमांक 12 मानचित्र पत्रावली संख्या-सी-0529/21-22 श्रीमती कनिका अग्रवाल पत्नी श्री रतिकान्त गुप्ता, श्रीमती सीमा अग्रवाल पत्नि श्री सुशील अग्रवाल, श्री गुरुभेज सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह, श्री जसप्रीत सिंह पुत्र श्री गुरुभेज सिंह, श्री सुनील आहूजा पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश आहूजा व श्री रोहित टण्डन पुत्र श्री विजय टण्डन द्वारा सम्पत्ति संख्या-19 पुराना नम्बर 13ए न्यू सर्वे रोड देहरादून वर्तमान सम्पत्ति संख्या-33 रायबहादुर उग्रसैन मार्ग देहरादून पर कामर्शियल बिल्डिंग निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि पुराने सिनेमा घर को तोड़कर नई गतिविधि हेतु वर्तमान में प्रचलित भवन उपविधि के विनियम संख्या 7.10 में व्यवस्था दी गयी है। अतः सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इससे सम्बन्धित शासनादेश एवं भवन उपविधि में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जाये।

अनुपूरक विषय क्रमांक 13 निर्मित/शमनित मानचित्र पत्रावली संख्या-ओसी-0753/21-22 कु0 लक्ष्मी राणा पुत्री श्री जसपाल सिंह राणा एवं श्रीमती मोनिका उनियाल पत्नि श्री विनय उनियाल द्वारा स्थित खसरा नम्बर 649 एम मौजा विधौली (फुटहिल एरिया) परगना पछवाडून जिला देहरादून पर निर्मित/शमनित हॉस्टल निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति निर्णय लिया गया कि इस बिन्दु पर विषय क्रमांक-11 पर लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाय।

अनुपूरक विषय क्रमांक 14 मानचित्र पत्रावली संख्या-आर-4463/21-22 श्रीमती शोभा कालरा पत्नि स्व0 श्री देवेन्द्र कालरा द्वारा (उग्रसैन नगर) ऋषिकेश जिला देहरादून के





तहत खसरा नम्बर 276/2/2मि. शुद्ध भूखण्ड क्षेफल 534.42 वर्ग मीटर आवासीय भवन मानचित्र (भूतल/प्रथम) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से श्रीमती शोभा कालरा पत्नि स्व० श्री देवेन्द्र कालरा द्वारा ऋषिकेश जिला देहरादून के तहत खसरा नम्बर 276/2/2मि. शुद्ध भूखण्ड क्षेफल 534.42 वर्ग मीटर में हॉस्टल भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु आवेदित मानचित्र संख्या आर-4463/21-22 की स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

अनुपूरक विषय क्रमांक 15 प्राधिकरण द्वारा देहरादून महायोजना तैयार किये जाने के साथ-2 मसूरी महायोजना तैयार किये जाने हेतु मै० MARS Planning & Engineering Services Pvt. Ltd. के पक्ष में समयवृद्धि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के दौरान मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि देहरादून महायोजना के कार्य के लिये नियोजन प्रकोष्ठ द्वारा माह मई से कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा समयवृद्धि हेतु अनुरोध किया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि दिनांक 30 जून, 2022 को मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा महायोजना का प्रस्तुतीकरण अनिवार्य रूप से किया जाय व तदोपरान्त ही समयवृद्धि पर विचार किया जा सकेगा।

बैठक के अन्त में बोर्ड को अवगत कराया गया कि पूर्व में वर्ष 1998 में प्रचलित शमन उपविधि के अनुसार शमन मानचित्रों में एक ही तल पर भूमि मूल्य निर्धारित करते हुये शमन शुल्क का आगणन किया जाता था शेष तलों के विचलन पर भूमि मूल्य आरोपित किये जाने का प्राविधान नहीं था। वर्तमान में दिनांक 01-04-2019 से प्रचलित शमन नीति के अनुसार प्रत्येक तल पर भूमि मूल्य के अनुसार शमन शुल्क का निर्धारण किया जाता है। उपरोक्त शमन शुल्क के निर्धारण के कारण शमन शुल्क अत्यधिक हो जाता है तथा शमन आवेदन प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

अतः विचार-विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि शमन उपविधि, 1998 के अनुसार भूमि मूल्य निर्धारण हेतु शासन से अनुरोध कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष/आयुक्त महोदय द्वारा सभी मा० सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।


(बृजेश कुमार सन्त)

उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।


(सुशील कुमार)

अध्यक्ष
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून

प्राधिकरण की 103वीं बोर्ड बैठक दिनांक 09-05-2022 का कार्यवृत्त

20

